न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 25/2021 बउनवानी श्रीमति गीता देवी बनाम लो.सू.अधि.एवं प्रभारी अधिकारी चुनाव अनुभाग पत्नि स्व0 श्री गोपाल लाल शर्मा, नि. 416 अंसारी मोहल्ला गलता रोड, परलीपार शहर सवाईमाधोपुर

GCMS No-2021/65

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
22.6.2021	लोक डाउन के कारण पत्रावली आज पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना एवं प्रभारी अधिकारी चुनाव अनुभाग की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत प्रभारी अधिकारी चुनाव अनुभाग को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत दिनांक 17.02.2021 को प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये ज़ाने हेतु लिखा गयाः– 1. श्रीमति गीता देवी पत्नि गोपाल लाल शर्मा, अंसारी मोहल्ला परलीपार गलता रोड़ पूर्व वार्ड संख्या 38 (3.5.1999) वर्तमान वार्ड संख्या 26 का वर्ष 1999 मे जारी फोटो मतदान पहचान पत्र जिसमे जन्म तिथि अंकित है कि प्रमाणित प्रति। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी चुनाव अनुभाग द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी चुनाव अनुभाग को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांक निर्वाचन/सूकाअ/2020/919 दिनांक 17.6.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना सें संबंधित रिकार्ड (मतदाता फोटो पहचान पत्र) की कार्यालय प्रति संघारित नही की जाने के कारण सूचना दिया जाना सम्भव नही है जिसके संबंध में अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना (मतदाता फोटो पहचान पत्र) की कार्यालय प्रति कार्यालय मे संघारित नही की जाने के कारण सूचना दिया जाना सम्भव नही है जिसके संबंध मे उपजिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील [illegible] अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (राजेन्द्र किशन) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:36:06 IST
Reason: SelfAttested